

फर्द अहकाम  
 न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली-बहरोड  
 इन्डियन बैंक बनाम सत्याधर्मा होटल प्रा० लि० व अन्य  
 केस संख्या 38/2024 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सरफेसी एक्ट

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	22.10.2024	<p>इन्डियन बैंक कार्यालय आनन्द विहार ब्रांच बी-1 अशोक निकेतन आनन्द विहार, दिल्ली जरिये प्राधिकृत अधिकारी की ओर से अधिवक्ता श्री सतीश सैनी द्वारा वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p style="text-align: center;">पत्रावली वास्ते सुनवाई/दस्तावेज सत्यापन हेतु                      आईन्दा दिनांक 05.11.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><b>जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड</b></p>	
5/11/24		<p>पत्रावली आज पेश हुई वकील (आधी) उपजिफत। वकील (आधी) के ड्रेक रिपोर्ट पेश किये हेतु निर्देशीर बिना ठामा वास्ते पेश हेतु ड्रेक रिपोर्ट हेतु पत्रावली दिनांक 25/11/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><b>जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड</b></p>	
25/11/24		<p>पत्रावली आज पेश हुई वकील (आधी) उपजिफत। वकील (आधी) ने दस्तावेज पेश किये हेतु निर्देशीर बिना पत्रावली वास्ते पेश हेतु दस्तावेज हेतु दिनांक 30/11/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><b>जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड</b></p>	
31/11/24		<p>पत्रावली आज पेश हुई वकील (आधी) उपजिफत। वकील (आधी) ने केई दस्तावेज उपजिफत नहीं होना जाहिर करते हुए प्रकरण का विस्तार किये हेतु निर्देशीर बिना उपकरण के आधी के द्वारा वकील (आधी) को जरी 13 (2) के नोटिस लिफिल हुआ है मा गरी उक्तकी ड्रेक रिपोर्ट पेश नहीं की गया न ही 13 (2) के नोटिस का हफ्ताना पत्र से उपकरण का दस्तावेज पेश नहीं किया है।</p> <p>महा उपकरण के आधी को 13 (2) का नोटिस लिफिल हुआ था न ही हुआ की ड्रेक रिपोर्ट पेश नहीं किये व प्रकरण का विस्तार किये उपकरण नहीं किये से आधी के द्वारा उपकरण के द्वारा धारा 14 सरफेसी एक्ट का अन्तर्गत जिला जता है। पत्रावली दिनांक 30/11/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><b>जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड</b></p>	